जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 14.07.2021

थाना आदर्श मण्डी

थाना आदर्श मण्डी पुलिस फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर ई-रिक्शा बेचने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 14.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा सूचना पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

ज्ञात हो दिनांक 26.06.2020 को वादी श्री देवीदास पुत्र ब्रहमा निवासी ग्राम ताहरपुर थाना कांधला जनपद शामली द्वारा अभियुक्त सैंकी पुत्र सुबोध उर्फ गड्डू निवासी म0न0 156 मौहल्ला आर्यपुरी थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर ई-रिक्श विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गयी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । थाना पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- सैंकी पुत्र सुबोध उर्फ गड्डू निवासी म0न0 156 मौहल्ला आर्यपुरी थाना झिंझाना जनपद शामली ।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा वाह्टस-अप पर ग्रुप बनाकर ग्रुप में अश्लील टिप्पणी करने व धमकी देने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 14.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर वाह्टस-अप ग्रुप बनाकर अश्लील टिप्पणी करने व धमकी देने वाला 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनांक 05.07.2021 को वादी श्री श्रीपाल पुत्र साधूराम निवासी ग्राम पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली द्वारा अभियुक्त शिवकुमार पुत्र रकम सिंह निवासी ग्राम पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली द्वारा वाह्टस-अप पर ग्रुप बनाकर अश्लील टिप्पणी करने व धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- शिवकुमार पुत्र रकम सिंह निवासी ग्राम पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली।